आदेश

बिहार पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों एवं अनुदेशकों के बिहार पुलिस के आन्तरिक स्रोत से पदस्थापन के लिए नीति हेतु पुलिस आदेश संख्या 316/2020 निर्गत है। उपर्युक्त आदेश में यह अंकित है कि इस आदेश पर राज्य सरकार का अनुमोदन संचिका संख्या 52–24–03–2020/एल०–2 में प्राप्त नहीं है, परन्तु यह संचिका अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग की सहमति के पश्चात् ही पुलिस मुख्यालय को वापस कर दी गयी थी। इस प्रकार संचिका संख्या 52–24–03–2020/एल०–2 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति नहीं है।

तद्नुसार पुलिस आदेश संख्या 316/2020 को पुलिस महानिदेशक, बिहार के स्तर से आवश्यकतानुसार संशोधन करने /विलोपित करने के संबंध में सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका गृह विभाग को पृष्ठांकित की गयी थी, जिसपर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अतः पूर्ण विचारोपरान्त पुलिस आदेश संख्या 316/2020 को विलोपित किया जाता है। इसके विलोपन के पश्चात् पूर्व की व्यवस्था बनी रहेगी।

भविष्य में आवश्यकतानुसार इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार के स्तर से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

22/6/22

पुलिस महानिदेशक,
बिहार ।

ज्ञापांक/एल–02/52–24–03–2020/एल०–2 44.
बिहार पुलिस मुख्यालय,
(स्थापना एवं विधि प्रभाग),
पटना, दिनांक 22 जून, 2022।

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव (आरक्षी शाखा),गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. सभी पुलिस महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3.सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण)/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल सहित बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई०टी०मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

22/6/22

पुलिस महानिदेशक,
बिहार ।